सार्वजनिक विज्ञप्ति

आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या– 260/XXIII/2017 /04 (01)/ 2017 देहरादून दिनॉक 19 मई, 2017 एवं The Uttarakhand Excise (Settlement of Licence for Retail sale of Country Liquor) Rules, 2001 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि हेतु(दिनॉक 19.02.2018 से 31.03.2018 तक) पुनर्व्यवस्थापन के सम्बन्ध में दिनॉक 18.02.2018 की अपरान्ह 16:00 बजे तक सील बन्द ऑफर/आवेदन आंमत्रित किये जाते है तथा प्राप्त ऑफर ऑफरदाताओं के समक्ष दिनॉक 18.02.2018 को साय: 17:00 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय आवंटन समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल में खोले जायेंगे। आवेदकगण उक्त तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में आवेदन/ऑफर प्रस्तुत कर सकते है।

वित्तीय वर्ष 2017–18(19.02.2018 से 31.03.2018 तक) पुनः व्यवस्थापनार्थ मदिरा के दुकानों के राजस्व का विवरण

क्र० सं०	दुकान का नाम	अनुज्ञापन का प्रकार	शेष अवधि हेतु निर्धारित कुल राजस्व	शेष अवधि हेतु लाईसेन्स फीस	शेष अवधि हेतु एम0जी0क्यू0 की धनराशि	धरोहर धनराशि	वांछित हैसियत
01	लालकुऑं	देशी	38602730	3088000	35514730	772055	3860273
02	रामनगर नं० 2	देशी	16413611	1313000	15100611	328272	1641362
03	खैरना	देशी	10047111	804000	9243111	200942	1004712

उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकान हेतु इच्छुक/पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर पहचान पत्र, शपथ पत्र एवं धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ–साथ रू० 22,000/–बैंक ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेबल) जो कि, जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल के पक्ष में देय हो सहित ऑफर/आवेदन आंमत्रित किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि के लिए स्थाई व्यवस्थापन होने तक उक्त मदिरा दुकानें अधिकतम प्राप्त राजस्व प्रस्ताव पर दैनिक आधार पर चलायी जायेंगी। अतः स्थाई व्यवस्थापन होने तक उक्त दुकानों को दैनिक आधार पर चलाने हेतु ऑफर भी आमंत्रित किये जाते है, जो प्रत्येक कार्य दिवस में जिला आबकारी अधिकारी/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। व्यवस्थापन हेतु रिक्त दुकानों से सम्बन्धित अन्य कोई भी विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(पवन कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक: 1210 /जि0आ0अधि0/मदिरा दुकान /2017–18/नैनीताल/दिनॉक फरवरी 14 ,2018

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
5. उप आबकारी आयुक्त, नैनीताल परिक्षेत्र।
6. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ बेवसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में शासकीय दरों पर न्यूनतम स्थान में दिनांक 15.02.18 को ही प्रकाशित होने वाले संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. कलेक्ट्रेट, विकास भवन, का0 जि0आब0अधि0, समस्त नगर पालिका व नगर निगम, समस्त तहसीलें, जनपद नैनीताल, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के सूचना पट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

(पवन कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।